

न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर अलवर(राज.)

अपील संख्या 12 / 123 / 2022
कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांक: 2022 / 406
प्रवेश तिथि :: 19.09.2022

अपीलार्थी
श्री रघुवीरसिंह,
नि0 क्वार्टर नं. 183, टाइप-2, राजनगर, सफदरजंग एन्क्लेव,
नई दिल्ली-110029

बनाम

प्रत्यर्थी
राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर


प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक: 01.11.2022

1. उभयपक्ष अनुपस्थित, प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने अपने सूचना आवेदन दिनांक: 11.07.2022 के माध्यम से प्रत्यर्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर चिकित्सा अधीक्षक, कार्यालय सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली के पत्र दिनांक: 27.05.2022 के क्रम में की गई कार्यवाही बाबत बिन्दुवार सूचना चाही गई थी।
4. सूचना नहीं मिलने के आक्षेप पर अपीलार्थी द्वारा प्रा0पत्र दिनांक: 02.09.2022 के माध्यम से इस न्यायालय को अपील संस्थित कराई गई।
5. उक्त प्रथम अपील के अनुक्रम में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर जवाब चाहा गया। प्रत्यर्थी की ओर से वांछित सूचना के संबंध में प्रभारी अधिकारी, आवक-जावक प्रकोष्ठ को पत्र जारी कर नियत तिथि से पूर्व जवाब / आवश्यक जानकारी भिजवाने हेतु लिखा जाकर प्रति इस न्यायालय को भी पृष्ठांकित की गई।
6. निर्णय तिथि तक प्रत्यर्थी की ओर से सूचना प्रेषित करने संबंधी कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ। इस प्रकार सतर्कता प्रकोष्ठ की ओर से समय पर सूचना प्रेषित नहीं किए जाने के कारण अपीलार्थी को सूचना प्रेषित नहीं की गयी है। अतः उक्त आलोक चमें अपील, अपीलार्थी स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत अपील अंतर्गत वांछित सूचना, संबंधित अनुभाग से अतित्वरित प्राप्त कर नियमानुसार अधिप्रमाणित कर निःशुल्क ही अपीलार्थी को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करावें।
7. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
8. आज दिनांक: 01.11.2022 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।




श्री. जितेन्द्र कुमार सोनी
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर (राज.)